

प्रो. विजयकुमार सी.जी.
कुलपति

Prof. Vijayakumar C.G.
Vice Chancellor



महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित)
देवास मार्ग, उज्जैन - 456 010 (म.प्र.) भारत
Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya
(Established by Government of Madhya Pradesh)
Dewas Road, Ujjain - 456 010 (M.P.) BHARAT

S.No/MPSVV/VCO/ 458

Date: 19/01/24

To,

Prof. Manish R. Joshi

Secretary

University Grants Commission, New Delhi

Subject: Regarding appointment of Ombudsperson.

Respected Sir,

This is with reference to your previous letter no. F.1-13/2022(CPP-II) Dated 17/01/2024, our university has appointed **Dr. Kishan Singh Vishwakarma**, Ex. HoD Botany Dept. Madhav Science College, Ujjain as Ombudsperson of the University. Earlier our university was not having any such designation but now as per the UGC regulations we have appointed the above mentioned scholar for the same.

Herewith, we are attaching the appointment letter of the ombudsperson for your perusal. Kindly go through the letter and do the needful.

Regards


Prof. Vijayakumar C.G.

Vice Chancellor

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन



देवास मार्ग,
उज्जैन (मध्यप्रदेश) पिन -456010

E-mail- regpsvmp@rediffmail.com
Website - www.mpsvv.ac.in

क्र./मपासंवि/स्था./2023/ 4032

दिनांक 04.10.2023

प्रति,

डॉ.किशन सिंह विश्वकर्मा
पूर्व विभागाध्यक्ष,
वनस्पतिशास्त्र विभाग
माधव विज्ञान महाविद्यालय,
उज्जैन (म.प्र.)

विषय :- लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की की शिकायत का निवारण) विनियम 2023 के अंतर्गत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.10.23 के अनुमोदन उपरांत आपको विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त किया गया है।

आपकी नियुक्ति पत्र जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है। आपके कार्यकरण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत निहित होंगे।

आपको विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रति दिन, प्रति बैठक के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, यात्रा पर किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भी आप पात्र होंगे।

आपके सुविधा हेतु अधिनियम की प्रति संलग्न है। जिसके अनुसार कार्यवाही संपन्न की जाना है।



कुलसचिव

दिनांक 04.10.2023

क्र./मपासंवि/स्था./2023/ 4033

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक- कुलपति/कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन।
2. संयुक्त संचालक, वित्त विभाग, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन।
3. समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक वि.वि, उज्जैन।
4. स्थापना शाखा, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन।


कुलसचिव